

## प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

## सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

## वन अनुभाग-३

**विषय:** जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्थूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

## महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1625/FP/UK/ROAD/43022/2019 दिनांक 06 जनवरी, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद 'पौड़ी गढ़वाल' के विकासखण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्थूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.1 एवं 4.2 में दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाप्ति करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०-५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम रत्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तर्दध निकाय के लेखा सं०-एस०वी०-२५२२९ कार्यालय बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०००३ में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।


4. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रतापित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्थानियों एवं भू-पैमानेके लौ सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता इंजीरी लौ सारा वन अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत आवश्यक अग्निश्वों/प्रयोग-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
6. प्रयोक्ता इंजीरी द्वारा प्रताप गे लिहित किसी भी निष्पारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति मे राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निररत करने का अधिकार सुरक्षित है।
7. प्रयोक्ता शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण मे विविवत स्वीकृति निर्माण की जायेगी।

भवदीय,  
(सुनाप चन्द्र)  
अपर सचिव।

संख्या: ८८ (1)/X-3-20/1(10)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (फेन्डीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुनाप रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शारान।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी।
5. प्रगामीय बनानिकारी, गढ़वाल वन प्रगाम, पौड़ी।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वैजरों, पौड़ी।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(सत्यप्रकाश सिंह)  
उप सचिव।